## उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

......



समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / क्षेत्र प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र0रा०औ०वि०नि०लि०,

सन्दर्भ संख्याः ६२५ / एसआईडीसी / 14 Sec).

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स

ए—1/4, लखनपुर, कानपुर पोस्ट बाक्स नं0— 1050

कानपुर : 208024

दूरभाष : 0512-2582851-53 (PBX)

फैक्स नं0 : (0512) 2580797 वेबसाइट : www.upsidc.com

दिनांक 14- 6-17

दिनांक 29.05.2017 को लिम्बत रिक्त भूखण्डों के हस्तान्तरण के सभी प्रकरणों में हस्तान्तरण का अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले हस्तान्तरण अनुमोदन पत्र में यह शर्त अवश्य रूप से समाहित की जायेगी कि हस्तान्तरी को प्रस्तावित इकाई की स्थापना हेतु मात्र 01 वर्ष का समय हस्तान्तरण अनुमोदन पत्र की तिथि से अनुमन्य होगा। हस्तान्तरी ने यदि इस सम्बन्ध में शपथ पत्र पूर्व में नहीं दिया हो तो उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। यदि उपरोक्त से आच्छादित किसी प्रकरण में अन्यथा शर्त सहित अनुमोदन पत्र निर्गत कर दिया गया है तो उसे उपरोक्तानुसार संशोधित करते हुए हस्तान्तरी को तुरन्त पत्र निर्गत किया जायेगा। हस्तान्तरी द्वारा अधिकतम 03 माह में पट्टा निष्पादन एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(रणवीर प्रसाद) प्रबन्ध निदेशक अ०५०

## उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

.....



समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / क्षेत्र प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी,

उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

सन्दर्भ संख्याः ६२५ / एसआईडीसी / 14 Sec).

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स

ए-1/4, लखनपुर, कानपुर पोस्ट बाक्स नं0- 1050

कानपुर : 208024

दूरभाष : 0512-2582851-53 (PBX)

फैक्स नं0 : (0512) 2580797 वेबसाइट : www.upsidc.com

दिनांक 14-6-17

दिनांक 29.05.2017 को लिम्बत रिक्त भूखण्डों के हस्तान्तरण के सभी प्रकरणों में हस्तान्तरण का अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले हस्तान्तरण अनुमोदन पत्र में यह शर्त अवश्य रूप से समाहित की जायेगी कि हस्तान्तरी को प्रस्तावित इकाई की स्थापना हेतु मात्र 01 वर्ष का समय हस्तान्तरण अनुमोदन पत्र की तिथि से अनुमन्य होगा। हस्तान्तरी ने यदि इस सम्बन्ध में शपथ पत्र पूर्व में नहीं दिया हो तो उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। यदि उपरोक्त से आच्छादित किसी प्रकरण में अन्यथा शर्त सहित अनुमोदन पत्र निर्गत कर दिया गया है तो उसे उपरोक्तानुसार संशोधित करते हुए हस्तान्तरी को तुरन्त पत्र निर्गत किया जायेगा। हस्तान्तरी द्वारा अधिकतम 03 माह में पट्टा निष्पादन एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

> (रणवीर प्रसाद) प्रबन्ध निदेशक क० ५०